न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–33 / 2021

जयजय राय.....वादी

बनाम

नन्द किशोर राय वगैरह.....प्रतिवादीगण

आदेश

19.10.23 अभिलेख आज प्रतिवादीगणों की ओर से उनके विरुद्ध इस न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्रवाई हेतु पारित आदेश दिनांक–29.04.2022 को अपास्त करने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–01.07.2022 तथा उसके तत्संबंधित वादी द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर 07.08.2023 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया।

अपने आवेदन में प्रतिवादीगणों ने निवेदन किया है कि वाद की जानकारी के पश्चात् वे तुरन्त न्यायालय में उपस्थित हुए, परन्तु अभिलेख अवलोकन से उन्हें ज्ञात हुआ कि दिनांक–29.04.2022 को प्रतिस्थापित तामिला के आधार पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया गया। अतः उसे न्यायहित में वापस लेते हुए प्रतिवादपत्र को स्वीकार करने की कृपा की जाए।

अपने प्रत्युत्तर में वादी ने निवेदन किया है कि उपरोक्त आवेदन काफी विलंब से दाखिल किया गया है और समस्त तामिला प्रतिवादी के विरुद्ध पूरी करने के पश्चात् एकपक्षीय आदेश पारित हुआ है। प्रतिवादी का आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित है। अतः खारिज किए जाने योग्य है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद प्रतिवादीगणों के विरुद्ध प्रतिस्थापित तामिला के आधार पर इस न्यायालय के आदेश दिनांक–29.04.2022 द्वारा एकपक्षीय कार्रवाई हेतु नियत कियागया है तथा प्रतिवादीगण अपने लिखित कथन के साथ अगले निश्चित तिथि दिनांक–01.06.2022 को उपस्थित हुए हैं जबकि उनका आवेदन उसकी ठीक अगली तिथि दिनांक–01.07.2022 को दाखिल है। अतः विलंब से दाखिल किया गया प्रतीत नहीं होता है। प्रतिवादीगण वाद में आवश्यक पक्षकार हैं तथा न्यायालय यह पाती है कि वाद की जानकारी के पश्चात् प्रतिवादीगण उपस्थित हुए हैं और न्याय के उद्देश्य से उक्त आदेश दिनांक–29.04.2022 को वापस लिया जाना न्यायोचित है। तदनुसार उपरोक्त आवेदन स्वीकृत करते हुए आदेश दिनांक–29.04.2022 को वापस लिया जाता है और प्रतिवादीगणों द्वारा दाखिल प्रतिवादपत्र स्वीकृत किया जाता है एवं अभिलेख दिनांक– 14-12-2023 वास्ते धारा–89 सी0पी0सी0 पर सुनवाई हेतु नियत किया जाता है।

19/10/2023

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।